Form no. III
फर्द अहकाम
(नियम 26)

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर सूरतगढ़ जिला श्रीगंगानगर

रामकुमार पुत्र कृष्णलाल जाति जाट निवासी अर्जुनसर तहसील अर्जुनसर जिला बीकानेर
बनाम
बिहारीदास पुत्र श्रीराम जाति बैरागी निासी फकीरवाली तहसील पदमपुर जिला श्रीगंगानगर व स्टेट
किस्म मुकदमाः–शिकायत प्रा0पत्र अ0धा0 11, 14 कॉलो0एक्ट एवं धारा 14 (4) आवंटन नियम 1970
प्र0सं0:– 70/2022 जीसीएमएस न.–2022/70

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील मे जारी हुए
27.11.2024	पत्रावली पेश हुई। वकील उभय पक्ष हाजिर। बहस उभय पक्ष सुनी गई। वकील प्रार्थी ने दौराने बहस शिकायत प्रार्थना पत्र मीमो में अंकित तथ्यों को दौहराते हुए कथन किया कि अप्रार्थी संख्या 1 के नाम तहसील सूरतगढ़ की रोही मोजा टिल्लावांली के खसरा न. 20/2 में 16.00 बीघा बारानी भूमि बरवक्त उपनिवेशन अधिकारियों द्वारा टीसी आवंटित की गई थी। जैर प्रार्थना पत्र भूमि पर आवंटन से लेकर आज दिनांक कभी भी अप्रार्थी संख्या 01 का कब्जा काश्त नहीं रहा। अप्रार्थी संख्या 01 को किया गया आवंटन केवल पेपर आवंटन है। अप्रार्थी संख्या 01 ने राजस्व कर्मचारियों से मिलीभगत कर करीब 10–12 वर्ष पूर्व खातेदारी भी करवा ली है। खातेदारी का इंतकाल कब्जे के अभाव में इतने लम्बे तक नही करवा पाये है। अब यह खसरा न. 20/2 की भूमि बेशकीमती भूमि हो चुकी है। क्यों यह सूरतगढ़ शहर के चिपते हुए है। नेशनल हाईवे 15 (62) पर इस खसरे की सीमाए लगती है। अप्रार्थी संख्या 01 कभी भी गांव टिल्लावाली में नही रहा है ना ही गांव में इसका वोट व राशन कार्ड है। अतः उपरोक्त तथ्यों के आधार प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर अप्रार्थी संख्या 01 के नाम से रोही मोजा टिल्लावाली के खसरा न. 20/2 की 16.00 भूमि को खारिज किया जावे। वकील अप्रार्थी संख्या 01 ने दौराने बहस जवाब प्रार्थना में अंकित तथ्यों को दौहराते हुए कथन किया कि मुझ अप्रार्थी संख्या 01 के नाम से तहसील सूरतगढ़ की रोही मौजा टिलावालीं के खसरा न. 20/2 में 4.301 है0 बारानी भूमि टीसी आवंटन शुदा थी। बाद में उक्त भूमि में 0.430 है0 भूमि घग्घर फल्ड में आने के कारण से शेष भूमि 3.870 है0 बारानी भूमि कि खातेदारी कर दी गई थी। उसके बाद भूमि राजमार्ग में आने के कारण राजमार्ग में अवाप्त कर शेष 1.000 है0 भूमि का इंतकाल राजस्व रिकार्ड में दर्ज कर दिया। आवंटन से लेकर आज तक जैर रकबा मुझ प्रार्थी व प्रार्थी के परिवार के कब्जा काश्त में चला आ रहा है। कब्जा संबंधी किसी प्रकार का कोई विवाद जैरकार नहीं है। खातेदारी सनद का इंतकाल ना होना एक राजस्व प्रक्रिया है जिसमे राजस्व कर्मचारियों की कमी के कारण से देरी हो गई। राष्ट्रीय राजमार्ग की सीमा में आने के कारण 12 बीघा भूमि सडक में अवाप्त हो गई थी जिसका इंतकाल होने के बाद शेष बची 1.000 है0 भूमि का इंतकाल मुझ अप्रार्थी संख्या 01 के नाम से दर्ज हो चुका है। अप्रार्थी भूमि का तन्हा मालिक व काबिज है, जिसे अपनी भूमि को बेचान करने का, अन्य रहन रखने व हस्तांतरण करने का पूर्ण अधिकार है। प्रार्थी प्रार्थी अर्जुनसर तहसील लूनकरनसर जिला बीकानेर का रहने वाला है जिसे तहसील सूरतगढ़ के रकबे की जानकारी होना ना [illegible] पूरा परिवार किशनपुरा तहसील सूरतगढ़ का मूल निवासी है, जिन [illegible] दस्तावेजात के आधार पर भूमि आवंटित की गई [illegible] ग्राम फकीरवाली जिला श्रीगंगानगर में रह रहे है। मुझ अप्रार्थी द्वारा [illegible] की कोई धोखाधडी नही की गई है। शिकायत प्रार्थना पत्र में अंकित समस्त तथ्य झूठे है। अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र निरस्त किया जावे। अतिरिक्त जिला कलक्टर सूरतगढ़, जिला श्री गंगानगर	

Signature Not Verified
Digitally signed by Kanhaiya Lal Songara
Date: 2024.12.20 11:22:33 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with OKEN Scanner

हमने उभय पक्ष की बहस पर मनन किया तथा पत्रावली में उपलबध दस्तावेजात का गहनता से अवलोकन किया। प्रार्थी का कथन है कि अप्रार्थी संख्या 01 ने बिना कब्जे काश्त के जैर प्रकरण भूमि टीसी आवंटन एवं तत्पश्चात खातेदारी करवाई है। वकील प्रार्थी द्वारा कोई ठोस साक्ष्य पेश नहीं किये जिससे प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों की पुष्टि हो सके। टीसी आवंटन एवं टीसी से खातेदारी जारी करते समय समक्ष अधिकारी के समक्ष कब्जा काश्त ना होने संबंधी कोई तथ्य सामने नहीं आये। पत्रावली के अवलोकन से अप्रार्थी द्वारा किसी प्रकार के कोई तथ्य आवंटन एवं खातेदारी के समय छुपाया जाना साबित नहीं होता। अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र सारहीन पाये जाने के कारण खारिज करना हम उचित समझते है।

अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र खारिज किया जाता है तथा अप्रार्थी संख्या 01 को आवंटित रोही मोजा टिलावाली के खसरा न. 20/2 की 16.00 बीघा भूमि का टीसी आवंटन एवं खातेदारी अधिकार यथावत रखे जाते है। आदेशिका दिनांक 18.05.2022 द्वारा जारी स्थगन आदेश निरस्त किया जाता है। निर्णय की प्रति तहसीलदार सूरतगढ़ पालनार्थ/आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित की जावे। पत्रावली नम्बर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो।

आदेश खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(कन्हैया लाल सोनगरा)
अतिरिक्त जिला कलक्टर
सूरतगढ़

अतिरिक्त जिला कलक्टर
सूरतगढ़, जिला श्री गंगानगर

Signature Not Verified

Digitally signed by Kanhaiya Lal Songara
Date: 2024.12.20 11:22:33 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with OKEN Scanner